झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र०स्वी०/73/2016– **/राँची, दिनांकः–**

प्रेषकः

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः– सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, राँची के नन्दिनी जलाशय योजना के नहर के विभिन्न विन्दुओं पर गेटों एवं अन्य संलग्न संरचनाओं का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रू0 11.94 लाख (ग्यारह लाख चौरानवे हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, राँची के नन्दिनी जलाशय योजना के नहर के विभिन्न विन्दुओं पर गेटों एवं अन्य संलग्न संरचनाओं का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्यो के लिए **रू0 11.94 लाख (ग्यारह लाख चौरानवे हजार)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

   (i) नन्दिनी जलाशय योजना के दाँये मुख्य नहर के Chain सं० 9.5 पर दो अदद नया CR एवं एक नया HR Gate का अधिष्ठापन।

   (ii) उक्ट गेटों का embedded parts, bottom seal एवं hosting arrangement का निर्माण।

   (iii) जामुन टोली शाखा नहर का एक नया H/R Gate, hoisting arrangement, embedded part, bottom seal का निर्माण।

   (iv) अन्य आवश्यक संलग्न संरचनाएँ।

3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल राँची निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी होगें तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होगे।

4. **इस कार्य पर होने वाला व्यय :–**

   मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–796– जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना –उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण मरम्मति एंव सुसज्जीकरण (सामग्री) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2015–16, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।

8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

9. इन कार्यो को वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ करके वर्ष 2016–17 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/73/2016– **/राँची, दिनांकः–**

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/73/2016– **/राँची, दिनांकः–**

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/73/2016– **/राँची, दिनांकः–**

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) सिंचाई यॉंत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल–1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰स्वी॰/73/2016– **/राँची, दिनांकः–**

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित् करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह॰/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰स्वी॰/73/2016– 69/15-16 प्र॰ स्वी॰ **/राँची, दिनांकः–** 18.03.2016

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित एवं कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं॰–3, जल संसाधन विभाग, राँची को On-line करने हेतु प्रेषित।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)